



कार्यालय नगर पालिक निगम भिलाई

क./स्टे.आयु./एफ-169/2019/3569

भिलाई, दिनांक 20/01/2020

// आदेश //

नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्रांतर्गत् जिन भूमि-स्वामियों द्वारा रिक्त भूमि पर नये भवन निर्माण अनुज्ञा प्राप्त करने आवेदन प्रस्तुत किये जाते हैं, उन्हें भवन निर्माण अनुज्ञा जारी करने के पूर्व ऐन वॉटर हारवेस्टिंग निर्माण के लिये अमानत राशि जमा कराया जाता है। जिसे, भवन निर्माण पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करने के पूर्व स्थल जांच निरीक्षण उपरांत ऐन वॉटर हारवेस्टिंग सिस्टम निर्माण पूर्णता की स्थिति में अमानत राशि वापस करने अन्यथा ऐन वॉटर हारवेस्टिंग सिस्टम का निर्माण भवन निर्माणकर्ता के स्थल पर नहीं पाये जाने की स्थिति में अमानत राशि राजसात करने हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 69(4) का उपयोग करते हुए श्री तरुण पाल लहरे, उपायुक्त, न.पा.नि भिलाई को आयुक्त की शक्तियां प्रत्यायोजित किया जाता है।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

(ऋषुराज रघुवंशी)
आई.ए.एस.

आयुक्त
नगर पालिक निगम
भिलाई

पृ.क./स्टे.आयु./एफ-169/2019/3570

भिलाई, दिनांक 20/01/2020

प्रतिलिपि :-

1. महापौर/अध्यक्ष महोदय, नगर पालिक निगम भिलाई को सादर सूचनार्थ।
2. अधीक्षण अभियंता, I/II, नगर पालिक निगम भिलाई को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
3. उपायुक्त, I/II, नगर पालिक निगम भिलाई को सूचनार्थ।
4. श्री तरुण पाल लहरे, उपायुक्त, नगर पालिक निगम भिलाई को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
5. जोन आयुक्त / कार्यपालन अभियंता, जोन -1,2,3,4,5,6, जलकार्य / स्वास्थ्य / कम्प्युटर / विद्युत / भवन संधारण/उद्यान, नगर पालिक निगम भिलाई को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
6. भवन निर्माण अधिकारी, नगर पालिक निगम भिलाई को सूचनार्थ।
7. सर्व संबंधित विभाग प्रमुख नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
8. अधीक्षक रथापना, नगर पालिक निगम भिलाई को सूचनार्थ।
9. प्रोग्रामर, डाटा सेंटर, नगर पालिक निगम भिलाई को निगम के वेबसाइट (आदेश फाईल) में अपलोड किये जाने हेतु सूचनार्थ।

(आयुक्त
नगर पालिक निगम
भिलाई